बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान क्या है?

प्रदेश में बाल विवाह के आंकड़ों में कमी आ रही है किंतु इस सामाजिक बुराई को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रदेश शासन प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन दृढ़ संकल्पित है। इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए बाल विवाह से प्रदेश को मुक्त करने हेतु पंचायत राज संस्थाओं व नगरीय निकाय के जन प्रतिनिधियों, समाज प्रमुखों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों, युवा संगठनों, शासकीय विभागों, गैर-शासकीय संस्थानों एवं आमजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी। शासन और समाज की सहभागिता से बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक जन समर्थन से आगामी 3 वर्षों में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने हेतु इस अभियान को संचालित किया जाना है।

अभियान के मुख्य घटक:

- **सामाजिक जागरूकता एवं गतिशीलता (सोशल मोबीलाइज़ेशन)**
- **किशोर सशक्तिकरण (एडोलोसेंट इम्पावरमेंट)**
- **मीडिया संवेदीकरण (मीडिया सेंसिटाइज़ेशन)**
- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों के विषय में जागरूकता बढ़ाना**

इन रणनीतियों के अनुसार राज्य, जिला, विकासखंड एवं ग्राम स्तर तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर व्यापक जन जागरूकता लाने के प्रयास किए जाएंगे। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के माध्यम से व्यापक जन सहयोग से बच्चों में व्याप्त कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाकर कुपोषण के चक्र को तोड़ना है।

बाल विवाह की सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी, पुलिस थाने में, महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, कोटवार, चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 एवं महिला हेल्पलाईन 181 आदि को दी जा सकती है।

बाल विवाह रोकथाम संकल्प

मैं .....संकल्प लेता/लेती हूँ, कि मैं अपने परिवार में कभी भी बाल विवाह नही कराऊंगा/कराऊंगी। समाज में बाल विवाह के रूप में व्याप्त बुराई का सदैव विरोध करूँगा/करुँगी। मैं बाल विवाह रोकने के लिए आमजनों को जागरूक करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े
माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास
तथा समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़

लड़का-लड़की की शादी कब सक्षम हो जाए तब

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह कानूनन प्रतिबंधित है।

#BalVivahMuktChhattisgarh

महिला एवं बाल विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

बाल विवाह क्या है ?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु में लड़की और 21 वर्ष से कम आयु में लड़के का विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह करना, करवाना या बाल विवाह में किसी भी तरह से सहयोग करना दंडनीय अपराध है।

प्रदेश में बाल विवाह की स्थिति:

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) की रिपोर्ट के अनुसार- प्रदेश भर में

छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से कम आयु में विवाह होने वाली बालिकाओं का प्रतिशत 12.1% है।

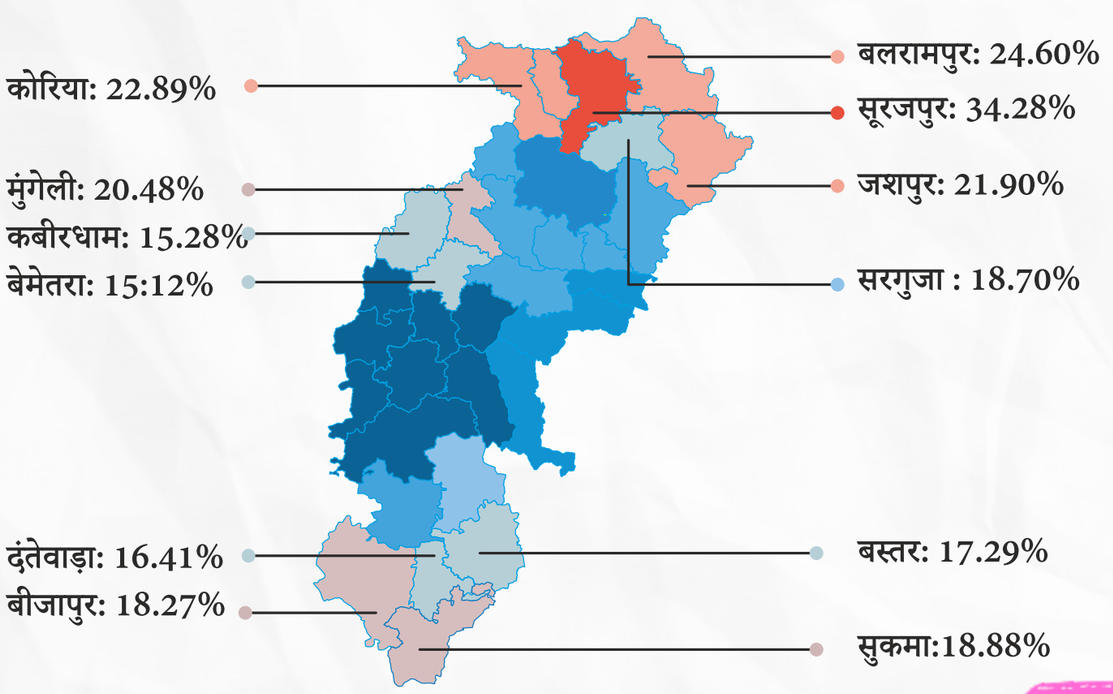

बाल विवाह के दुष्परिणाम ?

बाल विवाह के कारण लड़का एवं लड़की दोनों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती है और वे कोई कौशल भी नहीं सीख पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी होने के कारण उन्हें पैसा कमाने के लिए काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं कम होने के कारण उन्हें कम मजदूरी मिलती है और वे गरीबी के दुष्चक्र में फँसकर रह जाते हैं। कम उम्र में लड़की का तन और मन दोनों ही मातृत्व के लिए तैयार नहीं होता हैं। ऐसे में मातृत्व से जच्चा और बच्चा दोनों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। बाल विवाह के कारण कुपोषण चक्र तोड़ने में कठिनाई होती है, जिससे कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है।

समाज एवं देश के लिए चुनौतियाँ

- बाल विवाह के कारण किशोरियों में कुल प्रजनन क्षमता 17% से 26% तक बढ़ जाती है, जो कि देश की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त दबाव है। (ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट, 2017)
- 18 वर्ष से पहले 75 प्रतिशत किशोरियों के गर्भधारण की मुख्य वजह बाल विवाह है। (प्लान इंटरनेशनल, सर्वे, 2020)
- बाल विवाह की समाप्ति से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता में 1% की वृद्धि हो सकती है। (विश्व बैंक रिपोर्ट 2017)
- बाल विवाह का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह गरीबी का एक वंशानुगत चक्र बना सकता है। (जेनिफर पार्सन्स एट अल. 2015)
- उच्च जनसंख्या बढ़ोतरी से जूझ रहे विकासशील देशों पर महिलाओं की कुल प्रजनन क्षमता में 17% की वृद्धि से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसका एक मुख्य कारण कम उम्र में अनचाहा गर्भ है। (विश्व जनसंख्या नीतियाँ - यूएन, 2021)
- बाल विवाह के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को जीडीपी का लगभग 1.68% का नुकसान होता है। (रिषा सिंह, 2017)
- बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और लैंगिक असमानता का प्रतीक है। (फैन, एस., कोस्की, 2022)